# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 322/2022

प्रार्थी :– नीरज कुमार पुत्र नवरतनजी जाति ओसवाल, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राजाराम पुत्र लालचंद जाति अग्रवाल निवासी बाडमेर
2. सत्यनारायण पुत्र लालचंद जाति अग्रवाल
3. भंवरलाल टावरी पुत्र माणकलाल जाति माहेश्वरी
4. श्रीमती देवी पत्नी भंवरलाल जाति माहेश्वरी
5. सुमनदेवी पत्नी कन्हैयालाल टावरी जाति माहेश्वरी,
6. सागरमल पुत्र भंवरलाल टावरी जाति माहेश्वरी
7. दौलतराम पुत्र रामकरण
8. रामकन्यादेवी पत्नी जितेन्द्र कुमार
9. संतोष देवी पत्नी श्रीकान्त कुमार
10. पवन कुमार पुत्र रामचन्द्र सभी जातियान अग्रवाल निवासी बालोतरा
11. सलीमखां पुत्र सुआखां जाति मुसलमान निवासी बालोतरा
12. रूकमणीदेवी पत्नी रामस्वरूप जाति अग्रवाल
13. हनुमान डागा पुत्र आनन्द डागा जाति ओसवाल निवासी बालोतरा
14. नगर परिषद बालोतरा जरिये आयुक्त
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:43 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री जुंझाराम पटेल , प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 15 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 26.6.2023

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक तिलवाडा, तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 416/4 रकबा 2 .0072 हैक्टर किस्म बा. अव्वल अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस तांमील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक तिलवाडा, तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 416/4 रकबा 2 .0072 हैक्टर किस्म बा. अव्वल मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 4 रकबा 2 .691 हैक्टर किस्म बा. अव्वल भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:43 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और [illegible] किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञा[illegible]र्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक तिलवाडा, तहसील

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पचपदरा खेत खसरा संख्या 416/4 रकबा 2 .0072 हैक्टर किस्म बा. अव्वल भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2080–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर, भू. अभिलेख निरीक्षक तिलवाडा, तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 416/4 रकबा 2 .0072 हैक्टर किस्म बा. अव्वल भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगणको पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 26.06.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:43 IST
Reason: SelfAttested